नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी अध्यापक ने गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध को कलंकित किया है

अजमेर, (कासं)। पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी टीचर पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी अध्यापक ने गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध को कलंकित किया है।

सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि जब वह स्कूल गई थी टीचर ने दोपहर में उसे क्लास में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक का रिश्ता बहुत ही संवेदनशील होता है। शिक्षक जो एक गुरु है, जिसे भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। अपने बच्चों को माता-पिता बहुत ही विश्वास के साथ विद्यालय में पढ़ने के भेजते हैं। ताकि उनका बच्चा अच्छे संस्कार अपने गुरु से सीख सके, ऐसे गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को अभियुक्त ने कलंकित किया है। माता-पिता के विश्वास को तोड़ा है, यदि नर्मी का रुख अपनाया जाता है, तो उससे समाज में गलत संदेश जाएगा और परिजन अपनी बच्चियों को शिक्षा के मंदिर में भेजने से संकोच करने लगेंगे। ऐसे अपराध के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाया जाना न्याय का उचित प्रतीत नहीं होता। अंत कठोर दंड से दंडित किया जाए।

- **पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी टीचर पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है**
- **अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए**

सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जिला ब्यावर के मसूदा थाने में 29 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़ित परिवार ने शिकायत देकर बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी गांव में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। 23 अक्टूबर को उसकी पुत्री स्कूल पढ़ने गई तभी स्कूल टीचर ने अपने पास बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। बेटी घर रोते हुए पहुंची और कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, पहुंचने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश किया गया।

हत्या के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

झुंझुनूं, (निसं)। एससी/एसटी कोर्ट ने एक पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास तो शेष चार आरोपियों को तीन-तीन माह के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद वर्मा ने बताया कि उदयपुरवाटी थाने में श्रीमाधोपुर के जयरामपुरा निवासी मोतीराम मीणा ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसका बेटा सचिन अपने दोस्तों के साथ कोट बांध घूमने आया, जहां पर रामावतार गुर्जर की दुकान थी। सचिन ने पकौड़ी मांगी तो रामावतार गुर्जर ने उसे ठंडी पकौड़ी देनी चाही। ठंडी पकौड़ी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद रामावतार गुर्जर व उसके साथ पिंटू गुर्जर, रतनलाल आदि ने उसके बेटे सचिन के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, जिससे सचिन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों हरजनपुरा थाना थोई निवासी रामावतार गुर्जर, ढाणी गैरोठ तन कोट निवासी मोहनलाल, रतनलाल, फूलचंद और पिंटू गुर्जर को गिरफ्तार किया।

- **शेष चार आरोपियों को तीन-तीन माह के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई**
- **ठंडी पकौडी देने को लेकर अगस्त 2019 में विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी**

इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले में 18 गवाह प्रस्तुत किए गए। वहीं दोनों पक्षों की ओर से कुल 40 साक्ष्य प्रस्तुत किए। इनमें से मौके के पांच चश्मदीद गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण मानते हुए और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एससी/एसटी कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश सरिता नौशाद ने पिंटू गुर्जर को हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। वहीं फूलचंद, रतनलाल, मोहनलाल तथा रामावतार को भी तीन-तीन माह की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।

42 लाख रुपये की साइबर ठगी का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

पकड़े गये आरोपी ने नेट बैंकिंग के माध्यम से फरियादी के खाते से ठगी की थी

कोटा, (निसं)। ऑपरेशन एंटी वायरस के दौरान साइबर अपराधियों के विरूद्ध साइबर थाने की पुलिस टीम ने नेट बैंकिंग के माध्यम से एक फरियादी के खाते से 42 लाख रूपये की साइबर ठगी के मामले में फरार चल रहे तीसरे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि बताया कि 22 अगस्त को फरियादी प्रतीक द्वारा दर्ज करवाये गये 42 लाख की साइबर ठगी के प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उपअधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व एवं साइबर थाना के थाना अधिकारी सतीशचंद के सुपरविजन में टीम का गठन कर मामले में फरार चल रहे तीसरे शातिर ठग रायसिंह नगर जिला गंगानगर निवासी मनिन्दर सिंह को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी ने नेट बैंकिंग के माध्यम से फरियादी के खाते से ठगी की थी। मामले में सामने आया कि आरोपी ने साइबर ठगी के 28 लाख 71 हजार 787 रूपये अपने बैंक खाते में जमा कराकर अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर फरियादी प्रतीक से ठगी करना पाया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। रिमाण्ड के दौरान साइबर ठगी की राशि व घटना में शामिल अन्य साइबर ठगों के मामले में पूछताछ की जायेगी। मामले में पूर्व में दो आरोपी हनुमानगढ़ रोड निवासी रोहित गोयल (32) और विवेकानंद कॉलोनी निवासी हर्षराज (18) को गिरफ्तार किया जा चुका है।

- **पकड़े गये आरोपी को न्यायालय में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया**

यह था मामला :- फरियादी प्रतीक ने 22 अगस्त को साइबर थाना में एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि वह बैगलोंर में प्राइवेट नौकरी करता है और उसका एक बचत खाता एक्सिस बैंक शाखा गुमानपुरा कोटा में है। जिसमें उसकी सैलरी जमा होती है। उस खाते में लगभग 42 लाख रूपये जमा थे। फरियादी ने रिपोर्ट में बताया कि 19 मई को जब उसने अपनी बैंक पास बुक में एंट्री करवाई तो उसे ज्ञात हुआ कि 26 अप्रैल से 10 मई के बीच में 27 ट्रांसजेक्शन हुये, जिसमें 42 लाख 1 हजार 169 रूपये की निकासी हुई है, जो नेट बैंकिंग के माध्यम से हुई है, जबकि उसने उक्त रकम की निकासी नहीं की। फरियादी ने कहा कि उसके खाते से अज्ञात व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर रूपये निकाले हैं, जिस पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गये और पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फरार चल रहे आरोपी मनिन्दर (19) को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं, (निसं)। जिले के अंदर शादी का झांसा देकर करीब चार साल तक एक युवती का दुष्कर्म करने तथा उसका मोबाइल एवं सोने-चांदी के आभूषण भी हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस जानकारी के अनुसार झुंझुनूं कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

आरोपी विक्की पुत्र रामस्वरूप मेघवाल है तथा इस मामले में अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। झुंझुनूं में रहने वाली युवती ने पुलिस को लिखित में बताया कि गत चार वर्ष पहले विक्की से युवती की जान पहचान हो गई। वह चार साल से युवती के साथ शादी का झांसा देकर देहशोषण करता रहा। अक्टूबर के महीने में शादी से इनकार कर दिया।

उससे पहले युवती का मोबाइल वह सोने-चांदी के जेवरात हड़प लिए थे। युवती विक्की के घर गई तो उसके परिवार वालों ने मारपीट की तथा कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को रिपोर्ट मिलते ही जांच शुरू कर विक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

स्मैक सहित एक गिरफ्तार

शाहपुरा, (निसं)। पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा केकड़ी रोड चम्बल चौराहा शाहपुरा पर बिना लाईसेंस व परमीट अवैध मादक पदार्थ स्मैक रख परिवहन करने के मामले में अब्दुल सत्तार उर्फ छोटू देशवाली फुलिया गेट शाहपुरा से अवैध मादक पदार्थ स्मैक जप्त कर गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आरोपी से खरीदने व बेचने वालो के सम्बन्ध में जांच शुरू की। आरोपी की गिरफ्तारी में थानाधिकारी माया बैरवा, हैड कांस्टेबल, बनय सिंह, कांस्टेबल श्रीदेवनारायण, बनवारी लाल कांस्टेबल का विशेष योगदान रहा।

हाईकोर्ट ने विशेष योग्यजन प्रबोधक के समायोजन आदेश पर रोक लगाई

जोधपुर, (कासं)। बीकानेर निवासी मोहनराम ओड की रिट याचिका को अंतरिम रूप से ग्राह्य करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसके सात दिसम्बर के समायोजन आदेश पर अंतरिम रोक लगायी है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्मिक है और वर्तमान में वह महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बेलदारों का बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में प्रबोधक के पद पर कार्यरत है। प्रबोधक के पद पर उनकी नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बीकानेर द्वारा 28 सितम्बर 2008 को की गयी। इसके पश्चात वह वर्तमान में इसी पद पर प्रबोधक के रूप में सेवायें दे रहा है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर के निदेशक द्वारा 14 नवम्बर 2024 को अधिशेष शिक्षकों, कार्मिकों के समयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये। इन दिशा निर्देशों की आड में प्रार्थी को भी अधिशेष घोषित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा उसका स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बेलदारों का बास, कोटड़ी से राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की ढाणी में सात दिसम्बर को आदेश किया गया।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर उसने एक रिट याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से प्रस्तुत की। प्रार्थी के अधिवक्ता का उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि प्रथमतया प्रार्थी एक दिव्यांग कार्मिक के रूप में प्रबोधक के पद पर कार्यरत है व उसकी नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बीकानेर के आदेश से वर्ष 2008 में की गयी थी जबकि आलौचीय आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2024 से उसका समायोजन जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा किया गया है जो ना तो प्रार्थी का नियुक्ति अधिकारी है ना ही अनुशासनात्मक अधिकारी हैं। इसके बावजूद भी उसका समायोजन की आड़ में स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है क्योंकि प्रार्थी का नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीकानेर हैं एवं वह ही इसका स्थानान्तरण एवं पदस्थापन कर सकता है। दूसरा यह है कि प्रार्थी 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्मिक है। दिव्यांग कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर उनके स्थानान्तरण में छूट/प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इसके बावजूद भी प्रार्थी का समायोजन की आड़ में स्थानान्तरण उसके निवास स्थान से 60 किलोमीटर दूर किया गया है एवं उसे किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता या छूट प्रदान नहीं की गयी है, जो विधि विरूद्ध है।

प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश अरूण मोगा ने मोहनराम ओड़ की रिट याचिका को अंतरिम रूप से ग्राह्य करते हुए उसके 7 दिसम्बर समायोजन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

"विकसित भारत एवं स्वच्छ भारत" पर कार्यशाला

बांसवाड़ा। जिला मुख्यालय पर स्थित श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में एकदिवसीय "विकसित भारत एवं स्वच्छ भारत" विषयक कार्यशाला का आयोजन गुरुवार प्रात: डॉ एस राधाकृष्ण सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता के के गुप्ता रहे। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्जवल करके किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत स्वच्छ भारत के विजन को शत प्रतिशत साकार करने और धरातल पर उतारने का कार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे है। गुप्ता ने हाल ही में संपन्न राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की प्रशंसा की। कार्यशाला में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि हमारे जीवन में स्वच्छता सहित पर्यावरण तथा जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण तत्व है।

वायु सेना के जवान का निधन, नोखा में अंतिम संस्कार किया

बीकानेर, (निसं)। जिले के नोखा के जवान गौरीशंकर खाती (22) का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका दिल्ली में ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया था। जवान गौरीशंकर दिल्ली में वायु सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।

गौरीशंकर की दो दिसंबर को सर्जरी हुई थी। तब से बेस अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार शाम को निधन हुआ था। गुरुवार को वायु सेना के दिवंगत सैनिक की पार्थिव देह नोखा लाई गई। जवान की नोखा के जोरावरपुरा में अंतिम यात्रा निकाली गई। सेना के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी, जिसके बाद जवान की पार्थिव देह को भाई संजय और राहुल ने मुखाग्नि दी।

किसान नेता बजरंगलाल गोदारा, सुभाष भाम्भू और रिछपाल फौजी ने बताया कि गौरीशंकर के दो भाई है। एक भाई संजय बीए फाइनल में पढ़ रहा है, वहीं दूसरा भाई राहुल कक्षा 12 में है। गौरीशंकर के पिता जितुराम खाती लकड़ी के कारीगर है। गौरीशंकर का 18 साल की उम्र में वायु सेना में चयन हो गया था, जिसके बाद वह 4 साल से दिल्ली में वायु सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सैनिक के निधन की खबर से जोरावरपुरा में शोक की लहर छा गई। जवान की अंतिम यात्रा सेना के खुले वाहन में कस्बे के मुख्य स्थानों से निकाली गई। इस दौरान लोग तिरंगा हाथों में लेकर देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। जगह-जगह स्कूलों के बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। अंतिम यात्रा करणी माता मंदिर जोरावरपुरा नोखा से रवाना हुई, जो वार्ड नंबर 40 से सुजानगढ़ रोड, नवलीगेट, घंटाघर, सदर बाजार, कटला चौक, जैन चौक, महावीर चौक, मालू चौक होते हुए श्मशान घाट पहुंची। जहां पार्थिव देह की अंत्येष्टि की।

- **जवान गौरीशंकर खाती का ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया था, चार साल से दिल्ली में थे तैनात**

इस दौरान पालिकाध्यक्ष नारायण झंवर, अमित स्वामी, नायब तहसीलदार गौरव बेताला, सुरेश बिश्नोई, रिछपाल फौजी, सुभाष खारा, बजरंग गोदारा, राधेश्याम बिश्नोई, भगवानाराम भादू, पार्षद जगदीश मांझू, पार्षद देवकिशन चांडक सहित अनेक गणमान्य लोगों व वायु सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर जवान को सलामी दी। इसके बाद जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया।

हिस्ट्रीशीटर समेत दो लोगों पर हमला

श्रीगंगानगर, (निसं)। शहर के गगन पथ पर कुछ लोगों ने हिस्ट्रीशीटर समेत दो लोगों पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान 6-7 बदमाशों ने करीब 15 मिनट तक दोनों को बेरहमी से पीटा। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में छोड़कर हमलावार मौके से भाग छूटे। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें बनाकर जांच शुरू की गई है। हालांकि गुरुवार सुबह तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है अभी इस मामले में किसी को राउंडअप तो नहीं किया गया है, लेकिन जांच की जा रही है। वारदात शहर में गगनपथ पर हुई। हिस्ट्रीशीटर लक्की पहलवान उर्फ अवतार सिंह पुत्र संतराम और उसका रिश्तेदार मनीष शर्मा पुत्र अजय कुमार बुधवार दोपहर गगन पथ पर आए थे। इसी दौरान करीब 6-7 हमलावारों ने उन्हें बेहरहमी से पीटा। हमलावारों ने उसके हाथ और पांव पर वार किए। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। हमलावार करीब 15 मिनट तक दोनों को पीटते रहे। इन हमलावरों ने हथौड़ों से दोनों पर हमला कर दिया। लोग वारदात का वीडियो बनाते रहे। आरोपियों के भाग जाने के बाद सामने स्थित बैंक के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी।

अब और सुगम हुई रूफ टॉप सोलर कनेक्शन की प्रक्रिया

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम ने पीएम सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना में रूफ टॉप कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों के लिए प्रक्रिया को और सुगम बनाया है। डिस्कॉम्स अध्यक्ष आरती डोगरा ने बताया कि इसके अन्तर्गत योजना में आगामी माह से सोलर कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों से डिमांड नोटिस की राशि अब अगले बिजली बिल के साथ ली जाएगी। इसका लाभ अधिकतम 10 किलोवाट भार तक का रूफ टॉप सोलर कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को ही मिल सकेगा।

- **इंस्टालेशन के बाद आवेदक को बिजली बिल के साथ ही देने होंगे अब सभी शुल्क**

रूफ टॉप सोलर के लिए कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को आवेदन से लेकर इंस्टालेशन तक अलग-अलग प्रकार के शुल्क जमा कराने होते हैं। ऐसे में योजना को गति देने तथा रूफ टॉप लगाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने इस प्रक्रिया में लगने वाले सभी शुल्क अब रूफ टॉप स्थापित होने के बाद घरेलू बिजली बिल के साथ लिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पीएम सूर्य घर योजना में रूफ टॉप सोलर कनेक्शन के काम को त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की हुई है। जिसमें आवेदकों तथा वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही डिस्कॉम के स्तर पर किए जाने वाले कार्यो को ऑनलाइन किया जा रहा है।

सर्दी के तेवर तीखे

निवाई, (निसं)। उपखण्ड सहित शहर में तेज सर्दी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दिनभर लोग तेज सर्दी के चलते घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह 11 बजे तक रक्तांचल पर्वत कोहरे में छिपा रहा एवं शीतलहर से लोग कंपकंपा उठे। कोहरे की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालक भी लाईटे जलाकर सफर करते हुए नजर आए।

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE RAJ JAIPUR

N-11()PS/SAMGRI/Auction/2024-25/12741 DATED-6.12.2024

AUCTION-NOTICE

Auction Notice of estimated value INR 1,01,67,529/- are invited from interested bidders up to 07.01.2025 at 02.00 pm for IT Equipment & dt. 08.01.2025 at 11.00am for Furniture Equipment & dt. 09.01.2025 at 12.00 pm for Any Other Equipment. Other particulars of the Notice may be visited on the portal https://www.police.rajasthan. gov.in.

Addl. Supdt. of Police
(Leave Reserve)
Planning and Welfare Raj. Jaipur

DIPR/C/12659/2024

राज्य में "पीएम कुसुम योजना" को मिल रही गति

जयपुर। राज्य में "पीएम कुसुम योजना" को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को गति मिल रही है। योजना के कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत गुरूवार को बहरोड़-कोटपूतली जिले के बानसूर सब डिवीजन क्षेत्र में एक साथ दो सोलर प्लांट स्थापित किए गए। कुल 5.26 मेगावाट क्षमता के इन दोनों प्लांटों से बालावास तथा भूपसेड़ा ग्रिड सब स्टेशन से जुड़े 547 किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि बीते करीब दो माह में जयपुर विद्युत वितरण निगम में कुसुम योजना के कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत कुल 42 मेगावाट क्षमता के 15 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें कोटपूतली सर्किल में सर्वाधिक सात, भिवाड़ी वृत्त में पांच तथा जयपुर जिला उत्तर, जयपुर जिला दक्षिण एवं झालावाड़ वृत्त क्षेत्र में एक-एक सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन प्रारंभ किया गया है। कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत जयपुर डिस्कॉम में अब तक 52.63 मेगावाट क्षमता के कुल 20 सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं, जिनसे 5575 किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध हो रही है। वहीं अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम को मिलाकर तीनों डिस्कॉम में 80.89 मेगावाट क्षमता के कुल 31 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 7813 किसानों का खेती के लिए दिन में बिजली का सपना साकार हुआ है।

राज्य में "पीएम कुसुम योजना" को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को गति मिल रही है।

उल्लेखनीय है कि योजना में अवार्ड जारी करने के बाद पावर परचेज एग्रीमेंट फाइनल करने, ट्रांसमिशन लाइन तथा मीटर लगाने सहित अन्य आवश्यक स्वीकृतियों के काम निर्धारित समयावधि में किए जा रहे हैं। कुसुम योजना को गति देने के लिए करीब डेढ़ माह पूर्व मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने की पहल की गई है। इसके तहत कंपोनेंट ए एवं सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए डिस्कॉम स्तर पर आवेदनों का सुव्यवस्थित एवं त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। सोलर पावर प्लांट से उत्पन्न होने वाली सौर बिजली की निकासी के लिए 11 केवी एवं 33 केवी लाइन के अनुमोदन, प्लांट के लिए प्रस्तावित भूमि से एलटी, 11 केवी एवं 33 केवी लाइनों को जोड़ने आदि प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए अभियंताओं के स्तर पर समय सीमा का निर्धारण किया गया है। इस एसओपी के माध्यम से सोलर संयंत्रों को स्थापित करने की राह आसान हो रही है। साथ ही सोलर पावर जेनरेटर्स की समस्याओं को भी दूर किया गया है।

- **योजना के कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत बहरोड़-कोटपूतली जिले के बानसूर सब डिवीजन क्षेत्र में एक साथ दो सोलर प्लांट स्थापित किए गए**
- **दो माह में जयपुर विद्युत वितरण निगम में कुसुम योजना के कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत 42 मेगावाट क्षमता के 15 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं**

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बारां

क्रमांक-2673 दिनांक-06.12.2024

निविदा सूचना संख्या 04/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों/पुलिया की स्थाई मरम्मत हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://pwd.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। यू.बी.एन. संख्या निम्नानुसार है।

इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त बारां

DIPR/C/12628/2024

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, दूनी, जिला - टोंक (राज.)

क्रमांक/न.पा.दू./विकास/ई निविदा/2024-25/1038 दिनांक : 10.12.2024

ई-निविदा सूचना संख्या (06/2024-25)

नगरपालिका दूनी (टोंक) द्वारा नगर निकाय दूनी एवं राजस्थान सरकार के समुचित वर्ग के सूचीबद्ध ठेकेदारों/संवेदको एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनो में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, उनके निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑन-लाईन निविदा दिनांक 13.12.2024 को प्रातः 9.00 बजे से 23.12.2024 को सायं 06.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित राषि दिनांक 24.12.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक जरिये डी.डी. नगरपालिका कार्यालय में जमा करवानी होगी। । तकनीकी बिड दिनांक 24.12.2024 को दोपहर 02.00 बजे बाद एवं वित्तीय बिड तकनीकी निविदा सफल होने के बाद खोली जावेगी। निविदा फार्म एवं ई-निविदा से सम्बन्धित विवरण व शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय समय में उपलब्ध है। 10 कार्य की कुल लागत 110.58 लाख है।

NIB Code - DLB2425A4314

UBN Code - DLB2425WSOB13193, DLB2425WSOB13194, DLB2425WSOB13195, DLB2425WSOB13196, DLB2425WSOB13197, DLB2425WSOB13198, DLB2425WSOB13199, DLB2425WSOB13200, DLB2425WSOB13201, DLB2425WSOB13202

अध्यक्ष
नगरपालिका दूनी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका दूनी

राज.संवाद/सी/24/9000